



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125081

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18124 वर्ष 2026

अनिल कुमारआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अशोक कुमार उपाध्याय, शैलेन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री के.के. गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना काँठ, जिला मुरादाबाद से संबंधित वाद अपराध संख्या- 4 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 109(1), 3(5) बी.एन.एस. में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल श्रीमती पुष्पा को कथित तौर पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई थी, जिन्हें उनके पति हरिओम ने किराए पर लिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट हरिओम के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अस्पताल में घायल पुष्पा का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्तमान आवेदक, जो अभियुक्त हरिओम का ममेरा भाई है, वही व्यक्ति था जिसने उन पर गोली चलाई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और डॉक्टर द्वारा दर्ज की गई चोटें आग्नेयास्त्र की चोट से मेल नहीं खाती हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मुख्य अभियुक्त हरिओम, जिसके विरुद्ध मुख्य आरोप लगाया गया है, को सत्र न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। हालांकि, वर्तमान आवेदक का जमानत आवेदन घायल पुष्पा के बयान के आधार पर खारिज कर दिया गया था। आवेदक दिनांक 16.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह तर्क दिया गया कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री के.के. गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल का बयान उस समय दर्ज किया गया था जब वह अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने विशिष्ट रूप से कहा कि वर्तमान आवेदक, जो अभियुक्त हरिओम का ममेरा भाई है, वही व्यक्ति था जिसने उन पर गोली चलाई थी। उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक मुख्य अभियुक्त हरिओम का रिश्तेदार है, और इसलिए इसकी बहुत कम संभावना है कि घायल द्वारा उसकी गलत पहचान की गई हो।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा चोट रिपोर्ट का परिशीलन किया गया।

6. चिकित्सक ने घायल पुष्पा के सीने पर पाई गई चोट के आसपास कालेपन का उल्लेख किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि एक्स-रे रिपोर्ट में कोई गोली नहीं पाई गई। चोट रिपोर्ट में किसी निकास घाव का भी कोई उल्लेख नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- अनिल कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उचित दंडात्मक कार्यवाही करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

3 जून, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"